न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2017/00157

1. छोटुसिंह आत्मज नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम उम्मेदगंज धाकड़खेड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)
2. महावीरसिंह आत्मज नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम उम्मेदगंज धाकड़खेड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)
3. हेमराज आत्मज नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम उम्मेदगंज धाकड़खेड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)

– अपीलांट

बनाम

1. भंवरसिंह आत्मज ईश्वरलाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम उम्मेदगंज धाकड़खेड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)
2. खानसिंह आत्मज नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम उम्मेदगंज धाकड़खेड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). घनश्याम नागर– अधिवक्ता अपीलांट
(2). पैरोकार सरकार– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3

निर्णय **दिनांक 22.02.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 40/2015 प्रार्थना पत्र मे पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण अपीलांटगण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम उम्मेदगंज तहसील लाडपुरा की हाल खसरा सख्या 100 रकबा 1.22 हैक्टेयर आराजी स्थित है, जो संहवन से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हो गई है। ग्राम उम्मेदगंज स्थित उपरोक्त आराजी के हाल भू–प्रबन्ध से पूर्व खसरा संख्या 668/319 रकबा 16 बिस्वा, खसरा सख्या 652/320 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, तथा खसरा संख्या 668/321 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा था जो कि प्रार्थीगण के पिता एवं दादा नारायण सिंह ने संयुक्त परिवार की आय से अपने बड़े पुत्र अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता ईश्वरलाल के नाम नियमन करवाई थी, जो कि इन्तकाल संख्या 24 से गैर खातेदारी मे दर्ज की गई। इन्तकाल संख्या 24 से दर्ज भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की कोपार्सनरी सम्पत्ति है जिसमे नारायण सिंह के तीनों पुत्र ईश्वरलाल, छोटूसिंह, गोपालसिंह का समान हिस्सा एवं अधिकार है। बाद नियमन से नारायण सिहं के साथ तीनो पुत्र साथ–साथ काश्त करते थे और नारायण सिंह के बाद प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित आराजी शहरी सीमा के पास होने एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता के बाद विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे नाम दर्ज हो जाने से मन मे बेईमानी आ गई तथा गलत अंकन का फायदा उठाकर भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल कर बेचान कर दिया था भू–खण्ड काट दिये गये तो प्रार्थीगण अपीलांटगण को अत्यधिक क्षति होगी, जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति मे अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना आवश्यक हो गया है। प्रथम दृष्ट्या मामला ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण अपीलांटगण के पक्ष मे है। अन्त मे प्रार्थीगण के पक्ष मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया कि वे ताफैसला मूलवाद ग्राम उम्मेदगंज की खसरा संख्या 100 रकबा 1.2 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थीगण के 2/3 हिस्से से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, भूमि को किसी प्रकार से बैय, हस्तांतरित तथा खुर्द–बुर्द नहीं करें एवं भू–खण्ड नहीं काटै, ऐसा न तो अप्राथीगण स्वयं करे और न अपने किसी प्रतिनिधी से करावें।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपाथीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक

11.02.2017 को प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रार्थीगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया । सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दिनांक 14.02.2022 को बार–बार आवाज लगाने पर भी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उपस्थित नहीं हुए। अधिवक्ता अपीलांट की बहस एकतरफा सुनी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं कानूनी नजीरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना ही अपीलांटगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांटगण के पिता व दादा नारायण सिंह ने संयुक्त परिवार की आय से व सयुंक्त परिवार का कब्जा होने से बड़े पुत्र रेस्पोडेन्टगण के पिता ईश्वरलाल के नाम विवादित आराजी का नियमन करवाया था। नियमन के पश्चात नारायण सिंह के तीनों पुत्र ईश्वरलाल, छोटूसिंह व गोपाल सिंह का समान कब्जा पूर्व की भांति आज तक भी चला आ रहा है। उक्त आराजी इन्तकाल संख्या 24 से गैर खातेदारी मे दर्ज हुई है। रेस्पोडेन्टगण के पिता ईश्वरलाल जिन्दा रहे तब तक तो कोई परेशानी नहीं हुई किन्तु उनके स्वर्गवास के बाद भूमि की कीमते बढ़ जाने से रेस्पोडेन्टगण के द्वारा विवाद करने पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र के तथ्यों एवं उसके पक्ष मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज करने मे भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के रेस्पोडेन्टगण का राजस्व रेकॉर्ड मे नाम दर्ज होने मात्र से ही कब्जा होना मान लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थीगण अपीलांटगण

की ओर से वादपत्र खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया गया है तथा राजस्व रेकॉर्ड मे नाम रेस्पोडेन्टगण का है। यदि राजस्व रेकॉर्ड के आधार पर रेस्पोडेन्टगण द्वारा आराजी को खुर्द–बुर्द कर दिया एवं प्रार्थीगण को बेदखलद कर दिया तो रेस्पोडेन्ट के मुकाबले अपीलांटगण को अत्यधिक असुविधा होगी, तथा अपूरणीय क्षति अपीलांटगण को होगी, उक्त तथ्य अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे साबित कर देने एवं रेस्पोडेन्टगण द्वारा उक्त तथ्यों का खण्डन नहीं करने के बावजूद भी प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अन्त मे अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की तथा प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने की प्रार्थना पकी।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर विधिपूर्ण मनन किया तथा न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न जमाबंदी सम्वत 2026 से 2029 की फोटोप्रति के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात के भू–प्रबन्ध से पूर्व साबिक खसरा संख्या 649/319 रकबा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 652/320 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा तथा खसरा संख्या 668/321 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा रेस्पोडेन्टगण अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता ईश्वरलाल वल्द नारायण सिंह के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज होना अंकित है। पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 की फोटोप्रति के अनुसार विवादित आराजीयात भंवरसिंह, खानसिंह पुत्र ईश्वलाल सा. उम्मेदगंज के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। इस प्रकार विवादित आराजीयात अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के पिता को आंवटित होकर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टग्ण के पिता ईश्वरलाल के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज होना प्रकट होता है। तथा वर्तमान मे वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजीयात के अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थीगण अपीलांटगण वादग्रस्त आराजीयात पर स्वयं का कब्जा होने के संबंध मे कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजीयात पर स्वयं का कब्जा सिद्ध करने मे असफल रहे है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अपीलांटगण के पक्ष मे नहीं पाया जाता है। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार भी नहीं है। अपीलांटगण के पक्ष मे रेस्पोडेन्टगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने से अपीलांटगण किसी प्रकार की क्षति होने की संभावना नहीं है। इस प्रकार

अपीलांटगण न तो वादग्रस्त आराजीयात के अभिलिखित खातेदार है और न ही अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा काश्त सिद्ध कर पाए है, जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांटगण के पक्ष मे नहीं होकर तुलनात्मक रूप से रेस्पोडेन्टगण अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष मे होना प्रकट होता है। अपीलांटगण के वादग्रस्त आराजीयात के संबंध मे हक अधिकार मूलवाद के निस्तारण मे तय होने है, परन्तु अपीलांटगण वर्तमान मे प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर प्रार्थना–पत्र स्वयं के पक्ष मे सिद्ध करने मे असफल रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है, जो न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 से हम पूर्णतया सहमत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे फेरबदल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के प्रकरण संख्या 40/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 22.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा